भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3848
दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

विषयः एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन

3848. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष और आगामी वर्ष में देश में वर्षा पर एल नीनो का प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उगाई जाने वाली फसलों और क्षेत्रों के आधार पर देश के किसानों पर इन जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या सरकार ने फसल बीमा, इनपुट सब्सिडी, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) आदि प्रदान करके किसानों और उनकी फसलों को वर्षा की भारी कमी से बचाने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में अल नीनो का प्रभाव तथा वर्षा पर उसका असर, आईएमडी की वेबसाइट पर इस प्रकार दिया गया है: https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/enso_bulletin.php.

(ख) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, आईसीएआर-केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में मानसून की बदलती स्थिति और कृषि पर अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव की निरंतर निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. आईसीएआर द्वारा 15 राज्यों के 342 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) को अद्यतन किया गया है, जिनमें सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आईसीएआर-सीआरआईडीए ने राज्यों के परामर्श से कार्यान्वयन हेतु योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, आईसीएआर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की गई हैं।
ii. फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस

बैठक का उद्देश्य वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुवाई, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोगों के प्रकोप की समीक्षा करना और समय पर हस्तक्षेप करना है। राज्य कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ 27.04.2026 को सचिव (डीए एवं एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक जैसे इनपुट की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, मानसून के लिए तैयारियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 19 जून 2026 को अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की तैयारियों की समीक्षा भी की है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने 23 जून 2026 को अल नीनो की स्थिति के मद्देनजर खरीफ की तैयारियों के लिए राज्य कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा की है।

iii. राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग के अनुरूप खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों ने 1% बीज यानी 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

iv. फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहनशील फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियो, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल तकनीकों पर विशेष जोर दिया गया है। अल नीनो की स्थिति के कारण बुआई में देरी और प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए, तुअर, सोयाबीन और कपास की बुआई प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और अन्य कम अवधि वाली फसलों की बुआई करने की सलाह दी गई है।

v. दिनांक 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजित 1,14,567 कार्यक्रम में 80,67,300 किसानों ने भाग लिया जो जल संरक्षण को बढ़ावा देने, कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आयोजित किए गए। साथ ही, संवेदनशील जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत एक गहन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

vi. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में विचाराधीन होती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है। एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता राहत उपाय के रूप में प्रदान की जाती है; इसका उद्देश्य हुई अथवा दावा की गई हानियों की भरपाई करना नहीं है।

गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान एसडीआरएफ के तहत राज्यवार निधि आवंटन का विवरण (सोलहवें वित्त आयोग के अधीन) **अनुलग्नक** में दिया गया है।

vii. केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी जारी योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं के पुनरुद्धार

– जैसे; खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की गाद निकालने और बोरी बांधों आदि के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अलावा, विभाग जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों के हिस्से के रूप में विभिन्न योजनाओं जैसे; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन योजना मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन तथा देश भर में चल रहे अन्य कार्यक्रमों को भी लागू कर रहा है।

viii. खरीफ 2026 सीजन के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत 07.08.2026 तक 1,54,37,290 किसानों का पंजीकरण हो चुका है। इस खरीफ सीजन के दौरान भी पंजीकरण प्रक्रिया जारी है।

ix. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान: किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए जून 2026 में एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) और राज्य सरकारों के सहयोग से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी सूखाग्रस्त जिलों को कवर करना था। दिनांक 07.08.2026 तक कुल 5,10,195 केसीसी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,86,959 स्वीकृत किए गए। यह अभियान आज भी जारी है।

x. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत 23वीं किस्त के अनुसार, कुल 91,111.69 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करके 9,54,11,630 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की गई है।

अनुबंध

लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3848 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध, जिसका उत्तर 11.08.2026 को दिया जाना है

राज्यवार वार्षिक एसडीआरएफ आवंटन (रुपये करोड़ में)

राज्य	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**कुल**
आंध्र प्रदेश	1,182	1,241	1,303	1,368	1,439	**6,533**
अरुणाचल प्रदेश	99	104	109	114	121	**547**
असम	843	885	929	975	1,028	**4,660**
बिहार	2,628	2,759	2,897	3,042	3,196	**14,522**
छत्तीसगढ	479	503	528	554	582	**2,646**
गोवा	22	23	24	25	25	**119**
गुजरात	1,633	1,715	1,801	1,891	1,982	**9,022**
हरियाणा	564	592	622	653	686	**3,117**
हिमाचल प्रदेश	431	453	476	500	524	**2,384**
झारखंड	542	569	597	627	658	**2,993**
कर्नाटक	1,239	1,301	1,366	1,434	1,507	**6,847**
केरल	374	393	413	434	450	**2,064**
मध्य प्रदेश	2,258	2,371	2,490	2,615	2,743	**12,477**
महाराष्ट्र	5,718	6,004	6,304	6,619	6,952	**31,597**
मणिपुर	42	44	46	48	50	**230**
मेघालय	70	74	78	82	84	**388**
मिजोरम	46	48	50	53	55	**252**
नागालैंड	66	69	72	76	79	**362**
ओडिशा	1,718	1,804	1,894	1,989	2,088	**9,493**
पंजाब	478	502	527	553	582	**2,642**
राजस्थान	1,778	1,867	1,960	2,058	2,162	**9,825**
सिक्किम	73	77	81	85	88	**404**
तमिलनाडु	1,638	1,720	1,806	1,896	1,991	**9,051**
तेलंगाना	536	563	591	621	648	**2,959**
त्रिपुरा	57	60	63	66	70	**316**
उत्तर प्रदेश	2,957	3,105	3,260	3,423	3,597	**16,342**
उत्तराखंड	797	837	879	923	967	**4,403**
पश्चिम बंगाल	1,326	1,392	1,462	1,535	1,611	**7,326**
कुल	**29,594**	**31,075**	**32,628**	**34,259**	**35,965**	**1,63,521**

स्रोत: गृह मंत्रालय
